राजस्थान सरकार

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ 24 ( ) लेखा/अनु/आकाशि/10--11/149 दिनांक 09-3-12

आदेश

राजस्थान राज्य में गैर--सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा के बेहतर संगठन और विकास के लिए उपबन्ध करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1989 में राजस्थान गैर--सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 बनाया गया था। जिस समय यह अधिनियम बनाया गया तब राज्य में शैक्षिक संस्थाओं की नितान्त कमी थी, राज्य सरकार के वित्तीय संसाधन सीमित थे, केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती थी तथा सार्वजनिक ट्रस्ट अथवा पंजिकृत संस्थायें राज्य में शैक्षिक संस्था स्थापित करने हेतु इच्छुक नहीं थी। इसलिए इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि गैर--सरकारी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा व्यय की जाने वाली राशि के विरूद्ध कुछ प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में इन्हें स्वीकृत किया जावे।

उक्त अधिनियम लागू होने से अब तक की लम्बी अवधि में राज्य में परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के प्रचार--प्रसार एवं विकास हेतु प्रतिवर्ष काफी धन राशि जुटाई जा रही है तथा केन्द्र सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार/उच्च शिक्षण संस्थाओं को प्रतिवर्ष काफी धन राशि उपलबध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त, बच्चों के माता--पिता/अभिभावकों में शिक्षा के प्रति चेतना आई है तथा वे अपने बच्चों को गैर--सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश दिलवा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप गैर--सरकारी शैक्षिक संस्थायें आर्थिक रूप से समर्थ हो गयी हैं। साथ ही राज्य सरकार ने राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 लागू किये हैं। इन नियमों के प्रभावी होने की दिनांक को स्वीकृत व सहायता प्राप्त अनुदानित पदों पर कार्यरत कार्मिकों को राज्य सेवा में नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है।

उपरोक्त वर्णित बदली हुई परिस्थितियों में गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत अनुदान को आगे जारी रखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है इसलिए राजस्थान गैर--सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 की धारा--7 में प्रदत शक्तियों के तहत राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया

है कि राज्य की सभी गैर–सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को इस अधिनियम के तहत पूर्व में स्वीकृत अनुदान को बन्द किया जाये।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं0 1459/2011 (शोभा रस्तोगी बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य) व अन्य 21 याचिकाओं में दिनांक 12.05.2011 को निम्नांकित निर्देश प्रदान किये हैं :–

"As and when any decision is taken by the State Government to stop or withdraw grant-in-aid, as assured by Advocate General, the State Government will not give effect to it for a period of two months."

उक्त निर्देश की पालना में विभाग के पत्रांक एफ 24 ( ) लेखा/आकाशि/अनु /11–12/ 4506 दिनांक 13.12.2011 के द्वारा दिनांक 15.02.2012 से अनुदान सहायता बन्द करने का नोटिस जारी किया गया था। जिसके सम्बन्ध में किसी भी संस्था द्वारा कोई आपत्ती व्यक्त नहीं की गई है।

अतः राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 की धारा–7(1) के अन्तर्गत गैर–सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को पूर्व में स्वीकृत अनुदान दिनांक **15.02.2012** से बन्द करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृती प्रशासनिक विभाग से एम. आर. संख्या 413/02.03.2012 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की गई है।

निदेशक
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 24 ( ) लेखा/अनु/आकाशि/10–11/149-161 दिनांक 09-3-12

प्रतिलिपि निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजि सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय राजस्थान, जयपुर।
3. निजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, (वित्त), शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव निदेशक कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
6. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
7. उप विधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक (अनुदान/प्रशासन) कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
9. निजि सहायक, मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
10. सचिव, प्रबन्ध समिति, समस्त अनुदानित महाविद्यालय,
11. श्री धीरेन्द्र देवर्षी, व्याख्याता को वॅबसाइट पर अपलोड करने हेतु
12. रक्षित पत्रावली ।

मुख्य लेखाधिकारी
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

D:\accounts vibhag\Kailash ji